

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हंसराज बनाम अरुपा

पोठारीन अधिकारी महादय, भ्रमण अवकाश पर है। अरु  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ..... को पेश हो।

26.11.24

पत्रावली पेश हुई। वकील सापलान व गैर  
सापलान उपस्थित। पत्रावली गैर सापलान  
13 व 31 व तलवी में चल रही है  
परन्तु शलवादे के सम्बन्ध में प्रस्तुत  
रख अन्य धर्मपत्रा 212 (2) RTA (141/22)  
हंसराज vs अरुपा को गैर सापलान  
13 व 31 वी तलवी पर दिनांक 13 व 31  
जाकर दिनांक 29.7.24 को कुरपलीन  
कार्यवाही अन्त में लाई जा रही है  
अतः स्पष्ट है कि गैर सापलान 13 व  
31 को उक्त सापलान में विचारणीय होने  
की जानकारी देने के बाद भी कुरपलीन  
सापलान होने से इनके लिए इस स्वतन्त्रता  
कार्यवाही प्रथम में लाई जाती है।

पुर्न पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा पर  
उत्पन्न प्रमाण वकीलान के सुना गया।  
पत्रावली में दिनांक 18.2.2022 से  
अन्तरिक अर्थात् निषेधाज्ञा जारी है। वकील  
उत्पन्न प्रमाण का प्रथम है कि दावा जायजि  
डिजी डिजा जा रहा है अतः दावा के  
नियन्त्रण वक अन्तरिक अर्थात् आदेश दिनांक  
18.2.22 को बन्द में उर दिया जाये।

अतः उत्पन्न प्रमाण वकीलान की  
कुरपली प्रमाण धर्मपत्रा व अर्थात् निषेधाज्ञा  
में जारी अर्थात् निषेधाज्ञा अन्तरिक 18.2.22  
शुक्रवादि के नियन्त्रण वक बन्द की जाती है  
ले इसी प्रकार शलवादे को 7 म्बर  
निषेधाज्ञा दिनांक 25.11.24 से

ईजवाय सुनाया गया। हायक कल  
(फास्ट ट्रेक) 26/11/24  
नगर (डीग) राज (कुरपलीन मीन)